

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

उनवान

1. श्री नवलराम पिता नारु भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. श्री लोगर पिता नारु भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घासा जिला उदयपुर।
2. उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर जरिये आयुक्त

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 65/25 (वाद) GCMS No. — 2025/134

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिए जाते हैं कि ग्राम नाहरमगरा पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील घासा के आराजी नम्बर 582 रकबा 0.1781 की किस्म बारानी द्वितीय जिसको काश्तकार नवलराम, लोगर द्वारा रास्ते हेतु समर्पित किया गया था की किस्म बारानी द्वितीय के बजाय किस्म रास्ता दर्ज की जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25.08.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

